

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

07/नि.(विधि)-बैंक-49/2003

विभागीय अधिसूचना संख्या 3870 दिनांक 31.07.2009 द्वारा श्री मनोज कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक परिसमापक, परिसमापनाधीन दरभंगा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., दरभंगा का स्थानान्तरण हो जाने के कारण बैंक में सहायक परिसमापक की नियुक्ति आवश्यक है।

अतएव, मैं, अजय कुमार चौधरी, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना बिहार सहकारी अधिनियम की धारा-44 एवं बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, 1959 के नियम-64(2) के अन्तर्गत जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को परिसमापनाधीन दरभंगा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लहेरियासराय, दरभंगा का सहायक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह./-

(अजय कुमार चौधरी)

निबंधक,

सहयोग समितियाँ बिहार, पटना।

ज्ञापांक...../पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपि:- अवर सचिव, ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को एम.एस.वर्ड में एक सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंके में अग्रेजी में विषय एवं शीर्षक, "Regarding appointment of Assistant Liquidator for Darbhanga Central Co-operative Bank Ltd. (Under Liquidation) Laheriasarai Darbhanga" के साथ प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह./-

निबंधक,

सहयोग समितियाँ बिहार, पटना।

ज्ञापांक...../पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपि:- सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा/कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, गारमेन्ट हाउस, डॉ. एनी बेसेन्ट रोड, वर्ली मुम्बई-400018/मुख्य महाप्रबंधक, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम, भारतीय रिजर्व बैंक भवन, दूसरी मंजिल, मुम्बई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, मुम्बई सेन्ट्रल डाकघर, भायकुला-400008/प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिणी गाँधी मैदान पटना/महाप्रबंधक, नाबार्ड, पटना/जिला पदाधिकारी, दरभंगा-सह-परिसमापक, परिसमापनाधीन दरभंगा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., दरभंगा/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ/प्रबंध निदेशक, सभी शीर्ष सहकारी संस्थान/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा/प्रबंध निदेशक, सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक लि./मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त 20 प्रतियाँ सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

निबंधक,

सहयोग समितियाँ बिहार, पटना।

प्रतिलिपि
कम्प्यूटर कोषांग

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक 2704 / पटना, दिनांक 06.05.15
प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार,
पटना को इस निदेश के साथ कि वे अविलंब इस आदेश की एक सी.डी.
(एम.एस.वर्ड में) तैयार कराकर प्रेषण शाखा को ससमय उपलब्ध करावें, ताकि
सी.डी. अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जा सकें।
उन्हें यह भी निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश को विभागीय वेबसाइट पर
उपलोड करें। साथ ही संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को ई-मेल द्वारा भी संसूचित
करें।

सुरेश

निबंधक,
06.05.15

सहयोग समितियाँ बिहार, पटना।